[2019] 6 एस. सी. आर 972

अनुराग सोनी

वी.

छत्तीसगढ़ राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 629)

अप्रैल 09,2019

[एल. नागेश्वर राव और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 एस. एस. 90 , 375 और 376-अभियोजन मामला कि अभियोजक अभियुक्त से परिचित था-2009 से अपीलार्थी और उनके बीच प्रेम संबंध था-अपीलार्थी ने उससे शादी करने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, हालांकि अभियोजक और उसके परिवार के सदस्यों को लगभग दो महीने तक अंधेरे में रखने के बाद, अपीलार्थी ने अभियोजक से शादी करने से इनकार कर दिया।

और दूसरी लड़की से शादी की-सत्र न्यायालय

अपीलार्थी को यू/एस अपराध के लिए दोषी ठहराया। 376 , आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने फैसले की पुष्टि की-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः मुकदमा चलाया गया है

इस मामले को साबित करने में सफल रहा कि अपीलार्थी द्वारा अभियोजक से शादी करने का वादा झूठा था और शुरू से ही अपीलार्थी का अभियोजक से शादी करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसकी शादी बहुत पहले ही किसी अन्य लड़की के साथ तय हो चुकी थी-इसके बावजूद, उसने झूठा वादा करना जारी रखा और अभियोजक को शारीरिक संबंध के लिए उसकी सहमति देने का संकेत दिया-शुरू में

अभियोजक ने विरोध किया, हालांकि, अपीलार्थी के झूठे वादे पर भरोसा करते हुए सहमति दी कि वह उससे शादी करेगा-उसकी सहमति को एस के अनुसार तथ्य की गलत धारणा पर सहमति कहा जा सकता है। 90 , आई. पी. सी. नीचे दोनों न्यायालयों ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि द्वारा दी गई सहमति

अभियोजक तथ्य की गलत धारणा पर था और इसलिए, इसे सहमति नहीं कहा जा सकता है ताकि अपीलार्थी को बलात्कार के आरोप के लिए माफ किया जा सके जैसा कि यू / s.375, आई. पी. सी.-अपीलार्थी की दोषसिद्धि यू / s.376, आई. पी. सी. ने कहा-हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 10 साल की कठोर सजा

निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दिए गए कारावास को घटाकर सात वर्ष का कठोर कारावास कर दिया गया है-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। 114 - ए.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यदि यह स्थापित हो जाता है और साबित हो जाता है कि शुरुआत से ही अभियुक्त जिसने अभियोजक को वादा किया था

शादी करने का कोई इरादा नहीं था और अभियोजक ने आरोपी द्वारा इस तरह के आश्वासन पर यौन संभोग के लिए सहमति दी कि वह उससे शादी करेगा, ऐसी सहमति को आई. पी. सी. की धारा 90 के अनुसार तथ्य की गलत धारणा पर प्राप्त सहमति कहा जा सकता है और ऐसे मामले में, ऐसी सहमति अपराधी को माफ नहीं करेगी और ऐसे अपराधी को आई. पी. सी. की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार करने के लिए कहा जा सकता है और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। [पैरा 12] [990-सी-डी] 1.2 अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में सफल रहा है कि शुरू से ही अभियुक्त का कभी भी अभियोजक से शादी करने का इरादा नहीं था; उसने अभियोजक को उससे शादी करने के लिए झूठे वादे/वादे किए और इस तरह के झूठे वादे पर उसने शारीरिक संबंध बनाए।

अभियोजक के साथ संबंध; अभियोजक ने शुरू में विरोध किया, हालांकि, आरोपी के झूठे वादे पर भरोसा करते हुए सहमति दी कि वह उससे शादी करेगा और इसलिए, उसकी सहमति को आईपीसी की धारा 90 के अनुसार तथ्य की गलत धारणा पर सहमति कहा जा सकता है और ऐसी सहमति आरोपी को आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार और अपराध के आरोप से माफ नहीं करेगी।

अभियोजक, वर्तमान मामले में, बी. फार्मेसी में पढ़ने वाली एक शिक्षित लड़की थी। इसलिए, यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि अपीलार्थी की शादी किसी अन्य महिला के साथ तय हो गई है, अभियोजक और उसके परिवार के सदस्य आरोपी पर शादी करने के लिए दबाव डालते रहेंगे और अभियोजक जवाब देगा।

शारीरिक संबंध के लिए सहमति। बयान में, अभियोजक ने विशेष रूप से कहा कि शुरू में उसने शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, हालांकि, अपीलार्थी के वादे पर कि वह उससे शादी करेगा और इस तरह के वादे पर भरोसा करते हुए, उसने अपीलार्थी-आरोपी के साथ शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी। यहां तक कि

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए पर विचार करते हुए, जिसे बाद में जोड़ा गया है, एक अनुमान है और अदालत यह मान लेगी कि उसने भौतिक साक्ष्य के लिए सहमति दी थी।

अभियुक्त के साथ संबंध अभियुक्त द्वारा किए गए वादे पर निर्भर करते हैं कि वह उससे शादी करेगा। शुरू से ही, अभियुक्त द्वारा अभियोजक से शादी करने का वादा एक झूठा वादा था और शुरू से ही अभियुक्त का अभियोजक से शादी करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि 'पीएस' के साथ उसकी शादी बहुत पहले ही तय हो चुकी थी और इसके बावजूद, उसने [2019] 6 एस. सी. आर. जारी रखा।

वादा/झूठा वादा करने के लिए और अभियोजक को शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति देने के लिए प्रेरित किया। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि अभियोजक द्वारा दी गई सहमति तथ्य की गलत धारणा पर थी और इसलिए, इसे सहमति नहीं कहा जा सकता है ताकि आई. पी. सी. की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के आरोप के लिए आरोपी को माफ किया जा सके। दोनों अदालतों ने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोपी को सही ठहराया। इस तरह की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के अपराध समाज के खिलाफ हैं। बलात्कार नैतिक रूप से सबसे अधिक और समाज में शारीरिक रूप से निंदनीय अपराध, पीड़ित के शरीर, मन और गोपनीयता पर हमला। जबकि एक हत्यारा पीड़ित के शारीरिक ढांचे को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी एक असहाय महिला की आत्मा को अपमानित और अशुद्ध कर देता है। बलात्कार एक महिला को जानवर बना देता है, क्योंकि यह उसके जीवन के मूल हिस्से को हिला देता है। बलात्कार पीड़ित को किसी भी तरह से साथी नहीं कहा जा सकता है। बलात्कार पीड़ित के जीवन पर एक स्थायी निशान छोड़ देता है। बलात्कार पूरे समाज के खिलाफ अपराध है और पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। सबसे घृणित अपराध होने के नाते, बलात्कार एक महिला के सर्वोच्च सम्मान के लिए एक गंभीर प्रहार के समान है, और उसके सम्मान और गरिमा दोनों को आहत करता है। इसलिए, केवल इसलिए कि अभियुक्त ने किसी अन्य महिला से शादी की थी और/या अभियोजक ने भी बाद में शादी कर ली है, अपीलार्थी-अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी-अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध के परिणामों का सामना करना चाहिए।

[पैरा 14,15] [991-जी-एच; 992-ए-जी; 993-सी-ई]

1.3 दोनों अदालतों ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया। का दृढ़ विश्वास

अपीलार्थी-आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अभियुक्त को बनाए रखा जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से पेश वकील द्वारा किए गए अनुरोध में, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दी गई 10 साल की आर. आई. की सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया है, जो आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध करने के प्रासंगिक समय पर निर्धारित किया गया था। [पैरा 16] [993-एफ-जी]

तिलक राज बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2016) 4 एस. सी. सी. 140; उदय बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 4 एससीसी 46:

अनुराग सोनी बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

शिवशंकर उर्फ शिवा बनाम। कर्नाटक राज्य (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3106-लागू नहीं है।

कैनी राजन बनाम। केरल राज्य (2013) 9 एस. सी. सी. 113: [2013]

10 एस. सी. आर. 196; येडला श्रीनिवास राव बनाम। ए. पी. राज्य (2006)

11 एससीसी 615: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 760; उत्तर प्रदेश राज्य

डॉ. ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम। राज्य की महाराष्ट्र (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन 3100; दीपक गुलाटी

वी. हरियाणा राज्य (2013) 7 एससीसी 675: [2013] 6 एससीआर 544 ; सुजीत रंजन बनाम। राज्य का निर्णय दिनांक 27.01.2011

आपराधिक अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय No.248

2011 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

(2016) 4 एससीसी 140

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 6.5

[2003] 2 एससीआर-232

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 6.5

[2004] 5 पूरक। एससीआर 909

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 6.5

[2013] 10 एससीआर 196

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10.1

[2013] 6 एससीआर 544

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.2

[2006] 6 पूरक। एससीआर 760

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10.3

(2013) 16 एस. सी. सी. 651

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10.4

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक ऐप

2019 का सं. 629 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1270 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 10.10.2018 के निर्णय और आदेश से।

नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. बी. गुरुराज, विष्णु उन्नीकृष्णन, प्राक रंजन नायक, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

प्रवीण चतुर्वेदी, सुश्री ज्योति चतुर्वेदी, आद्या मिश्रा, प्रा सचदेवा, सुश्री नेहा राठी, जतिन भारद्वाज, अधिवक्ता।

ता [2019] 6 एस. सी. आर. के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

की गई प्रार्थना के संदर्भ में अभियोजक को आरोपित करने के लिए आवेदन की अनुमति है।

1.1 छुट्टी दे दी गई।

2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.10.2018 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

आपराधिक अपील सं. 1270/2014 बिलासपुर में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारिज कर दिया है-मूल अभियुक्त और आई. पी. सी. की धारा 376 (1) के तहत मूल अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की है और उसे सजा सुनाई है।

जुर्माने का भुगतान न करने पर 10 साल के लिए कठोर कारावास और Rs.50,000/- का जुर्माना देने के लिए अतिरिक्त कठोर दंड से गुजरना होगा।

छह महीने के कारावास, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह था कि अभियोजक कोनी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर का निवासी था। अभियोजक परिचित था

2009 से आरोपी के साथ और उनके बीच प्रेम संबंध था। अपीलार्थी ने उसे शादी का प्रस्ताव भी दिया था और यह तथ्य उनके संबंधित परिवार के सदस्यों की जानकारी में था। घटना के समय, आरोपी मालखरौदा के सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रूप में तैनात था और उस समय अभियोजक भिलाई में फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। आई. डी. 1 पर अभियुक्त ने अभियोजक से अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह उससे मिलना चाहता है और तदनुसार आई. डी. 3 पर सुबह 7.25 बजे अभियोजक दुर्ग दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ और शक्ति रेलवे स्टेशन पहुंचा जहाँ से अभियुक्त उसे मोटरसाइकिल पर मालखरोदा स्थित अपने घर ले गया और वहाँ वह आई. डी. 3 की दोपहर 2 बजे से आई. डी. 2 की दोपहर 3 बजे तक रही और इस अवधि के दौरान अभियोजक के इनकार के बावजूद अभियुक्त ने उससे शादी करने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। 30.4.2013 पर अभियुक्त ने अभियोजक को यह कहकर जाने के लिए कहा कि वह 1 या 2 मई को उससे बात करेगा। माता-पिता ने अपनी शादी के बारे में बताया और वह जल्द ही उससे शादी कर लेगा। आई. डी. 1 को शाम को लगभग 6 बजे आरोपी अनुराग सोनी और अभियोजक ट्रेन से बिलासपुर पहुंचे और जहाँ से उनके दोस्त अनुराग सोनी बनाम।

गाँव खरोद में अभियुक्त के घर और उसके परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में सूचित किया, जिस पर अभियुक्त के परिवार के सदस्यों ने कहा था कि अब अभियुक्त और अभियोजक की शादी ही एकमात्र विकल्प उपलब्ध था। इस बीच, दोनों परिवारों के सदस्य एक-दूसरे के घर जाते थे, हालांकि, अभियोजक और उसके परिवार के सदस्यों को लगभग दो महीने तक अंधेरे में रखने के बाद, आरोपी ने अभियोजक से शादी करने से इनकार कर दिया था और दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। फिर 21.6.2013 पर अभियोजक ने लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की (Ex. पी-3) द्वारा किए गए बलात्कार के संबंध में पुलिस स्टेशन मालखारोदा में

शादी के बहाने उस पर आरोप लगाया गया जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए एफ. आई. आर. (एक्स. पी. 4) दर्ज की गई।

3.1 जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने अभियोजक सहित संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए। जाँच अधिकारी ने चिकित्सा साक्ष्य और अन्य साक्ष्य एकत्र किए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।

3.2 कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को विद्वान सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जिसे सत्र परीक्षण सं. 201/2013 के रूप में गिना गया था।

कि विद्वान सत्र न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किया

आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए। अभियुक्त ने इस तरह से बनाए गए आरोप से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया, और इसलिए उस पर उपरोक्त अपराध के लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया।

3.3 अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष (पीडब्लू 3) सहित 13 गवाहों की जांच की।

प्रीतम सोनी

पीडब्लू
1

1 .

मानिकचंद

पीडब्लू
2

2 .

3 .

अभियोजक

पीडब्लू
3

पटवारिया घनश्याम

4 .

पीडब्लू
4

डॉ सी. के. सिंह

5 .

पीडब्लू
5

6 .

डॉ. के. एल. उरांव

पीडब्लू
6

अमृतलाल

7 .

पीडब्लू

7

पंकज सोनी

8 .

पीडब्लू

8

पीडब्लू

9

9 .

डॉ पी. सी. जैन

सिपाही जवाहरलाल

पीडब्लू

10

10 .

उप-निरीक्षक एस. पी. सिंह

पीडब्लू

11

11 .

इंस्पेक्टर शीतल सिदार

12 .

पीडब्लू

12

13 .

श्रीमती प्रियंका सोनी

पीडब्लू

13

3.4 अभियोजन पक्ष द्वारा समापन पर्सी प्रस्तुत किए जाने के बाद,

बचाव में अभियुक्त की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई। अपीलार्थी-अभियुक्त का बयान Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पेश होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया था।

और निर्दोषता और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया। अभियुक्त के अनुसार उसकी शादी पहले से ही एक प्रियंका सोनी के साथ तय हो चुकी थी और यह अभियोजक की जानकारी में था, तब भी अभियोजक और उसके परिवार के सदस्य उस पर अभियोजक से शादी करने का दबाव डालते रहे, और फिर उसने आर्य समाज में 10.06.2013 पर प्रियंका सोनी के साथ शादी कर ली। इसलिए, यह आरोपी की ओर से मामला था कि उसके खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

4. कि साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विद्वान सत्र न्यायालय

अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया कि अभियोजक ने तथ्य के गलत निरूपण और अभियुक्त द्वारा किए गए वादे पर यौन संभोग के लिए सहमति दी कि वह अभियोजक से शादी करेगा और इसलिए उक्त सहमति को सहमति नहीं कहा जा सकता है और इसलिए अभियुक्त ने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध किया। इसके बाद, विद्वान सत्र न्यायालय ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

5. फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के मामले में, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करना पसंद किया। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है और ए. एन. यू. आर. ए. जी. सोनी बनाम.

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की। 6. अपील को खारिज करने और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोपी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल आरोपी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6.1 अभियुक्त और श्री प्रणव सचदेवा और श्री प्रवीण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु पेश हुए हैं।

चतुर्वेदी, विद्वान अधिवक्ता क्रमशः राज्य के साथ-साथ मूल शिकायतकर्ता-अभियोजक की ओर से पेश हुए हैं।

6.2 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों में और

मामले की परिस्थितियों में, नीचे दी गई दोनों अदालतों ने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराते हुए भौतिक रूप से गलती की है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराते हुए और यह मानते हुए कि आरोपी ने आई. पी. सी. की धारा 375 के तहत बलात्कार किया है, निचली अदालतों ने आई. पी. सी. की धारा 90 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए को अपने सही परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी नहीं माना है।

6.3 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजक

वह आरोपी से प्यार करती थी और वह आरोपी से शादी करना चाहती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अभियुक्त की ओर से विशिष्ट मामला था, इसलिए उसके 313 बयान में कहा गया है कि अभियोजक और उसके परिवार के सदस्यों को पता था कि अपीलार्थी की शादी पहले से ही प्रियंका सोनी के साथ तय हो चुकी है और तब भी अभियोजक और उसके परिवार के सदस्य अभियुक्त पर अभियोजक से शादी करने के लिए दबाव डालते रहे।

6.4 यह आगे अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए भी कि अभियुक्त ने दिया था

अभियोजक से शादी करने का वादा किया और उसके बाद आरोपी ने अभियोजक से शादी नहीं की, इसे 'वादे का उल्लंघन' कहा जा सकता है।

6.5 अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु ने इसके निम्नलिखित निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। न्यायालय; डॉ. ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम। महाराष्ट्र राज्य 6 एस. सी. आर.

(2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन 3100; तिलक राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2016) 4 एससीसी 140; दीपक गुलाटी बनाम। हरियाणा राज्य (2013) 7 एस. सी. सी. 675; उदय बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 4 एस. सी. सी. 46; दिलीप सिंह बनाम। बिहार राज्य (2005) 1 एस. सी. सी. 88; और शिवशंकर उर्फ शिवा बनाम। कर्नाटक राज्य (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3106 6.6 इसलिए, अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने कहा है कि वास्तव में उसके बाद अभियुक्त ने एक प्रियंका सोनी से शादी की है और यहां तक कि अभियोजक से भी।

शादी भी कर ली।

6.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाए।

7. वर्तमान अपील का राज्य के साथ-साथ मूल पक्ष की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। शिकायतकर्ता-अभियोजक।

अभियोजक और वह एक दूसरी महिला प्रियंका सोनी से शादी करने वाले थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के बावजूद उसने अभियोजक को अपने आवास पर बुलाया और वादा किया कि वह शादी करेगा, उसने अभियोजक के साथ यौन संबंध बनाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वास्तव में, अभियोजक ने शुरू में किसी भी यौन संभोग पर आपत्ति जताई, हालाँकि, क्योंकि अभियुक्त ने आश्वासन दिया और वादा किया कि वह शादी करेगा, अभियोजक ने सहमति दी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि अभियुक्त द्वारा सहमति प्राप्त की गई थी तथ्य की गलत धारणा और इसलिए इसे आई. पी. सी. की धारा 90 पर विचार करते हुए भी सहमति नहीं कहा जा सकता है, और सहमति तथ्य की गलत धारणा पर थी, नीचे दी गई दोनों अदालतों ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए सही ठहराया है।

7.2 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ अभियोजक द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आचरण भी

अभियुक्त का वह भाग जो अभिलेख से निकलता है कि जब अभियुक्त के माता-पिता और अभियोजक बाद में अनुराग सोनी v को ठीक करने के लिए मिले।

शादी में उपस्थित रहने के बजाय आरोपी भाग गया। यह है।

प्रस्तुत किया कि यह सबूत में आया है कि आरोपी पहले से ही एक दूसरी महिला प्रियंका सोनी से शादी करने वाला था और इसलिए शुरू से ही अभियोजक से शादी नहीं करने का आरोपी का कोई इरादा नहीं था और इसके बावजूद शादी करने का झूठा वादा करके उसने अभियोजक की सहमति प्राप्त की और यौन संबंध बनाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्थापित और संदेह से परे साबित हो गया है कि अभियोजक द्वारा दी गई सहमति तथ्य की गलत धारणा पर थी और इसलिए इसे सहमति नहीं कहा जा सकता है और इसलिए अपीलकर्ता-अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया जाता है।

7.3 प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ मूल शिकायतकर्ता-अभियोजक ने आई. पी. सी. की धारा 375, आई. पी. सी. की धारा 90 पर इस न्यायालय के कुछ फैसलों और तथ्य की गलत धारणा और सहमति से यौन संबंध पर सहमति पर भरोसा किया है, जिसे इसके बाद संदर्भित किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा।

7.4 अब जहाँ तक इस न्यायालय के निर्णयों पर रखी गई निर्भरता, जिस पर अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ मूल शिकायतकर्ता-अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्णयों में से कोई भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ अभियोजक के पक्ष में लागू होंगी, विशेष रूप से, ध्रुवरम मुरलीधर सोनार (उपरोक्त) के पैरा 20, दीपक गुलाटी के पैरा 21

(ऊपर); और उदय (ऊपर) के मामले में पैरा 21 और 23। 7.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

8. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान वकील को सुना।

9. वर्तमान मामले में, आरोपी को दोषी ठहराया गया है

आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध। अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि चूंकि यह सहमति से यौन संबंध बनाने का मामला है, इसलिए निचली अदालतों ने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने में त्रुटि की है। निम्नलिखित दोनों न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है कि अभियोजक की सहमति [2019] 6 एस. सी. आर. दी गई थी।

तथ्य की गलत धारणा के आधार पर और इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 90 पर विचार करते हुए, ऐसी सहमति को सहमति नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, आरोपी ने आई. पी. सी. की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार किया है और इस तरह आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध किया है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए, नीचे दिए गए न्यायालयों ने आरोपी को धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में कोई त्रुटि की है।

आई. पी. सी.?

10. योग्यता के आधार पर इस अपील पर आगे विचार करते समय, आई. पी. सी. की धारा 375 और धारा 90 और सहमति/सहमति से यौन संबंध पर इस न्यायालय के कुछ फैसलों को संदर्भित और विचार करने की आवश्यकता हैः

10.1 कैनी राजन बनाम के मामले में। केरल राज्य (2013) 9 एस. सी. सी. 113, इस न्यायालय ने बलात्कार के अपराध के आवश्यक और मापदंडों को समझाया है। उक्त निर्णय में, पैरा 12 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

" 12. आई. पी. सी. की धारा 375 "बलात्कार" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, जो इंगित करती है कि पहला खंड संचालित होता है, जहां महिला है।

उसकी इंद्रियों का कब्जा, और इसलिए, सहमति देने में सक्षम है, लेकिन कार्य उसकी इच्छा के खिलाफ किया जाता है; और दूसरा, जहां यह उसकी सहमति के बिना किया जाता है; तीसरा, चौथा और पांचवां, जब सहमति होती है, लेकिन यह ऐसी सहमति नहीं है जो अपराधी को बहाना देती है, क्योंकि यह उसे किसी भी व्यक्ति पर डालने से प्राप्त की जाती है जिसमें वह मृत्यु या चोट के डर में रुचि रखती है। अभिव्यक्ति "उसके खिलाफ"

वसीयत का अर्थ है कि यह कार्य महिला के विरोध के बावजूद किया गया होगा। सहमति के बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि केवल मामले के साक्ष्य या संभावनाओं के आधार पर। " सहमति को विचार-विमर्श के साथ तर्क का कार्य भी कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति के मन में करने की अनुमति देने के लिए एक सक्रिय इच्छा को दर्शाता है।
एक अधिनियम की शिकायत की। आई. पी. सी. की धारा 90 "सहमति" अभिव्यक्ति को संदर्भित करती है। हालांकि, धारा 90 "सहमति" को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन यह बताती है कि क्या सहमति नहीं है। धारा 375 के उद्देश्य के लिए "सहमति" के लिए स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता होती है, न केवल अधिनियम के महत्व और नैतिक गुणवत्ता के ज्ञान के आधार पर बुद्धिमत्ता के प्रयोग के बाद, बल्कि प्रतिरोध और सहमति के बीच चयन का पूरी तरह से प्रयोग करने के बाद। सहमति थी या नहीं, इसका पता सभी प्रासंगिक ए. एन. यू. आर. ए. जी. एस. ओ. एन. आई. वी. के सावधानीपूर्वक अध्ययन पर ही लगाया जा सकता है।

परिस्थितियाँ। (एच. पी. बनाम की स्थिति देखें। आम राम (2000) 7 एस. सी. सी. 224 "

10.2 दीपक गुलाटी बनाम के मामले में। हरियाणा राज्य (2013) सी 675, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 21 और 24 में कहा और अभिनिर्धारित किया:

" 21. सहमति व्यक्त या निहित, मजबूर या गुमराह, स्वेच्छा से या छल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सहमति तर्क का एक कार्य है, विचार-विमर्श के साथ, मन का वजन, एक संतुलन के रूप में, प्रत्येक पक्ष में अच्छे और बुरे का वजन है। बलात्कार और सहमति से यौन संबंध बनाने के बीच एक स्पष्ट अंतर है और इस तरह के मामले में, अदालत को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी वास्तव में पीड़ित से शादी करना चाहता था, या उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, और उसने एक स्पष्ट अंतर बनाया था।

इस आशय का झूठा वादा केवल उसकी वासना को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वासना धोखाधड़ी या धोखे के दायरे में आती है। केवल वादे के उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच अंतर है। इस प्रकार, अदालत को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या प्रारंभिक चरण में आरोपी द्वारा शादी का झूठा वादा किया गया था; और क्या इसमें शामिल सहमति यौन संभोग की प्रकृति और परिणामों को पूरी तरह से समझने के बाद दी गई थी। ऐसा मामला हो सकता है जिसमें अभियोजक यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो।

अभियुक्त के लिए उसके प्यार और जुनून के कारण, और न केवल अभियुक्त द्वारा उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण, या जहां कोई अभियुक्त उन परिस्थितियों के कारण, जिनकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, या जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, ऐसा करने का पूरा इरादा होने के बावजूद उससे शादी करने में असमर्थ था। ऐसे मामले

24. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि प्रासंगिक समय पर यानी प्रारंभिक चरण में ही, आरोपी का पीड़ित से शादी करने का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। बेशक, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जब सबसे अच्छे इरादे वाला व्यक्ति पीड़ित से शादी करने में असमर्थ हो। विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण। भविष्य की अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को पूरा करने में विफलता, उन कारणों के कारण जो उपलब्ध साक्ष्य से बहुत स्पष्ट नहीं हैं, हमेशा तथ्य की गलत धारणा के बराबर नहीं होती है। "तथ्य की गलत धारणा" शब्द के अर्थ में आने के लिए, तथ्य [2019] 6 एस. सी. आर.

इसकी तत्काल प्रासंगिकता होनी चाहिए। आई. पी. सी. की धारा 90 को ऐसी स्थिति में किसी लड़की के कृत्य को क्षमा करने के लिए सहायता के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।

जब तक कि अदालत को इस तथ्य का आश्वासन नहीं दिया जाता है कि शुरू से ही आरोपी

वास्तव में कभी उससे शादी करने का इरादा नहीं था।

10.3 येडला श्रीनिवास राव बनाम। ए. पी. राज्य (2006) 11 एस. सी. सी. 615 में किए गए संशोधन पर भी इस न्यायालय ने विचार किया

कि उसके माता-पिता सहमत नहीं हैं। उसने अपदस्थ कर दिया कि अगर उसने वादा नहीं किया होता, तो वह उसे उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती। यह सवाल बुजुर्गों की पंचायत के समक्ष उठाया गया था और अभियोजक अपनी बहन के साथ पंचायत में मौजूद था और बहनोई। अभियुक्त और उसके पिता दोनों पंचायत में उपस्थित हुए और अभियुक्त ने अभियोजक के साथ अवैध संपर्क और गर्भधारण के बारे में स्वीकार किया। आरोपी ने दो दिन का समय मांगा

अभियोजक से विवाह और पंचायत ने तदनुसार समय दिया। लेकिन पंचायत की बैठक के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया और जब आरोपी ने पंचायत के सामने किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया तो अभियोजक ने शिकायत दर्ज कराई। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने और आई. पी. सी. की धारा 90 पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। अभियुक्त को दोषी ठहराते समय, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 9,10,15 और 16 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

अनुराग सोनी बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

" 9. वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या अभियुक्त का यह आचरण स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लिखित आई. पी. सी. की धारा 375 के छह विवरणों में से किसी के तहत आता है। यह स्पष्ट है कि अभियोजक ने अभ्यावेदन पर आरोपी के साथ यौन संबंध बनाए थे

अभियुक्त द्वारा बनाया गया कि वह उससे शादी करेगा। यह अभियुक्त द्वारा किया गया एक झूठा वादा था। अगर शायद यह वादा नहीं किया गया होता, तो वह आरोपी को यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती। इसलिए, क्या यह सहमति के बराबर है या आरोपी ने उसके साथ धोखाधड़ी करके सहमति प्राप्त की है। दंड संहिता की धारा 90 में कहा गया है कि यदि सहमति चोट के डर या तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई है, तो प्राप्त ऐसी सहमति को वैध सहमति नहीं माना जा सकता है। धारा 90 निम्नानुसार हैः

" 90. भय में दी जाने वाली सहमति या

गलत धारणा। सहमति ऐसी सहमति नहीं है जो है इस संहिता की किसी भी धारा द्वारा अभिप्रेत है, यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के डर से, या तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है, या विश्वास करने का कारण है, कि सहमति इस तरह के डर के परिणामस्वरूप दी गई थी या

गलत धारणा; या

[बच्चे की सहमति] जब तक कि इसके विपरीत दिखाई न दे संदर्भ में, यदि सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो बारह वर्ष से कम आयु का है

बरसों की उम्र "।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि पीडब्लू 1 की गवाही के अनुसार आरोपी का इरादा शुरू से ही ईमानदार नहीं था और वह वादा करता रहा कि वह उससे शादी करेगा, जब तक कि वह गर्भवती नहीं हो जाती। अभियुक्त द्वारा प्राप्त इस तरह की सहमति को कोई सहमति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह इस तथ्य की गलत धारणा में थी कि अभियुक्त उससे शादी करने का इरादा रखता है, इसलिए उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए। यह तथ्य अभियुक्त द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि उसने यौन संबंध बनाए थे जो पीडब्लू 1,2 और 3 की गवाही और गाँव के बुजुर्गों की पंचायत के सामने से स्पष्ट है। यह स्पष्ट है कि

आरोपी ने उससे शादी करने का झूठा वादा किया।

इसलिए,

[2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुरू से ही अभियुक्त का इरादा सही नहीं था

वादा निभाने वाले अभियुक्त द्वारा पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है शादी के लिए। अभियुक्त द्वारा ली गई इस तरह की सहमति

वादा पूरा न करने और लड़की को मनाने का स्पष्ट इरादा

मानो कि वह उससे शादी करने जा रहा है और उसके लिए उसकी सहमति प्राप्त की

पूर्ण गलत धारणा के तहत संभोग, इलाज नहीं किया जा सकता है

सहमति होना। .....

15. इस संबंध में संशोधन का उल्लेख किया जा सकता है।

साक्ष्य अधिनियम में किया गया। धारा 114-ए पेश की गई थी और कुछ मामलों में सहमति के अभाव के बारे में अनुमान लगाया गया है।

बलात्कार के लिए मुकदमा। धारा 114-ए निम्नानुसार हैः

" 114 - ए. कुछ मामलों में सहमति की अनुपस्थिति के बारे में धारणा

बलात्कार के लिए मुकदमा। - बलात्कार के लिए एक अभियोजन में

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उप-धारा (2) के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) या खंड (ई) या खंड (जी), जहां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उप-धारा (2) के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (सी) या खंड (डी) या खंड (ई) या खंड (जी) द्वारा यौन संभोग किया जाता है। अभियुक्त साबित हो जाता है और सवाल यह है कि क्या यह महिला की सहमति के बिना कथित बलात्कार किया गया था और वह अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, अदालत यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी। ”

16. यदि अभियुक्त द्वारा यौन संबंध बनाए गए हैं और

यदि यह साबित हो जाता है कि यह अभियोजक की सहमति के बिना था

और वह अदालत के सामने अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने नहीं किया

सहमति से, अदालत यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी। अनुमान को विधानमंडल द्वारा साक्ष्य में पेश किया गया है

उसके साथ बलात्कार किया। अभियुक्त ने उसे आश्वासन दिया कि वह उससे शादी करेगा और अपनी वासना को तब तक संतुष्ट करता रहेगा जब तक कि वह गर्भवती नहीं हो जाती और यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी नहीं चाहता था

उससे शादी कर लो। "

10.4 यू. पी. राज्य के मामले में v. नौशाद (2013) 16 एससीसी

मामले के समान तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने उलट दिया

उच्च न्यायालय द्वारा इस्तीफा दिया गया और आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया

आईपीसी की धारा 376। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 17. आई. पी. सी. की धारा 376 बलात्कार के अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है। आई. पी. सी. की धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है, और अपराध के छह विवरणों को सूचीबद्ध करती है। वर्णन "दूसरा" बलात्कार की बात करता है "उसकी सहमति के बिना"। इस प्रकार, एक पुरुष द्वारा एक महिला के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संभोग किया जाएगा।

बलात्कार का अपराध है। हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या वर्तमान मामले में आरोपी यौन संबंध बनाने का दोषी है।

अभियोजक के साथ "उसकी सहमति के खिलाफ" संभोग। इस मामले में अभियोजक ने रिकॉर्ड में बयान दिया है कि आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था और उसके साथ यौन संबंध बनाए थे

इस बहाने और जब वह गर्भवती हुई, तो उसके परिवार ने इस आधार पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि वह "खराब चरित्र" की है।

18. "सहमति" को कैसे परिभाषित किया जाता है? आई. पी. सी. की धारा 90 "भय या गलत धारणा" के तहत दी जाने वाली सहमति को परिभाषित करती है जो इस प्रकार हैः

गलत धारणा। सहमति ऐसी सहमति नहीं है जिसका इरादा किया गया है। इस संहिता की किसी भी धारा द्वारा, यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा दी गई है

चोट के डर से, या तथ्य की गलत धारणा के तहत, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है, या उसके पास विश्वास करने का कारण है,

कि सहमति ऐसे भय के परिणामस्वरूप दी गई थी या गलत धारणा; "

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, यदि अभियोजक द्वारा तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति दी जाती है, तो यह दूषित हो जाता है।

19. वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने अभियोजक को झूठा आश्वासन देकर कि वह उससे शादी करेगा, अभियोजक के साथ यौन संबंध बनाए। गर्भवती होने के बाद उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसका कभी भी उससे शादी करने का इरादा नहीं था और उसने केवल उसके साथ यौन संबंध बनाने के कारण उसकी सहमति प्राप्त की, जो आरोपी का कार्य बलात्कार की परिभाषा के तहत आता है क्योंकि उसने उसकी सहमति से यौन संबंध बनाया था जो आई. पी. सी. की धारा 90 के तहत परिभाषित तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त सहमति थी। इस प्रकार, अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई कथित सहमति स्वैच्छिक सहमति नहीं थी और इस न्यायालय का विचार है कि अभियुक्त ने अभियोजक के साथ अपने सच्चे इरादों को गलत समझकर यौन संबंध बनाए।

सबूत से स्पष्ट है कि आरोपी केवल उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहता था और उसका कोई इरादा नहीं था

वास्तव में अभियोजक से शादी करना।

10.5 डॉ. ध्रुवरम मुरलीधर सोनार के मामले में भी

(ऊपर), जिस पर विद्वान वकील द्वारा निर्भरता रखी गई है

अभियुक्त की ओर से पैराग्राफ 23 में पेश होते हुए इस न्यायालय ने कहा है कि बलात्कार और सहमति से यौन संबंध बनाने के बीच स्पष्ट अंतर है। अदालत को ऐसे मामलों में बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़ित से शादी करना चाहता था या उसका दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य था और उसने केवल उसे संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था।

वासना, जैसा कि बाद में धोखाधड़ी या धोखे के दायरे में आता है, इस न्यायालय ने कहा और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 23. इस प्रकार, बलात्कार और सहमति से यौन संबंध के बीच एक स्पष्ट अंतर है। अदालत को ऐसे मामलों में बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़ित से शादी करना चाहता था या उसका दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य था और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद में यह धोखाधड़ी या धोखे के दायरे में आता है। केवल वादे के उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच भी अंतर है। यदि अभियुक्त ने अभियोजक को यौन कृत्यों में लिप्त होने के लिए बहकाने के एकमात्र इरादे से वादा नहीं किया है, तो ऐसा कार्य बलात्कार नहीं होगा। ऐसा मामला हो सकता है जहां अभियोजक अभियुक्त के लिए अपने प्यार और जुनून के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो जाता है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा बनाई गई गलत धारणा के कारण, या जहां कोई अभियुक्त उन परिस्थितियों के कारण, जिनकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था या जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, करने का पूरा इरादा होने के बावजूद उससे शादी करने में असमर्थ था। ऐसे मामले

अलग तरह से इलाज किया जाना चाहिए। यदि शिकायतकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था और यदि उसका गुप्त उद्देश्य था, तो यह स्पष्ट रूप से बलात्कार का मामला है। दोनों पक्षों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध धारा 376 के तहत अपराध नहीं होगा।

आई. पी. सी. "

10.6 दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुजीत रंजन बनाम. राज्य [2011 की आपराधिक अपील संख्या 248 ने इस न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख करने और उन पर विचार करने के बाद, अंततः पैराग्राफ 16 में, निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

" 16. ऊपर उल्लिखित न्यायिक घोषणाओं से जिस कानूनी स्थिति को निकाला जा सकता है, वह यह है कि अभियोजक द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए दी गई सहमति, जिससे वह प्यार करती है, इस वादे पर कि वह बाद में उससे शादी करेगा, को "तथ्य की गलत धारणा" के तहत नहीं माना जा सकता है। क्या अभियोजक द्वारा यौन संभोग के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक है या क्या यह "तथ्य की गलत धारणा" के तहत दी गई है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। सहमति के प्रश्न पर विचार करते समय, न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने समक्ष साक्ष्य और आसपास की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को इस बात को ध्यान में रखते हुए तौलना होगा कि अपराध के प्रत्येक घटक को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे निष्कर्ष देने के लिए सकारात्मक साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहिए कि अभियुक्त के पास नहीं था

शुरू से ही अभियोजक से शादी करने का इरादा और किया गया वह वादा उसकी जानकारी में गलत था। भविष्य की अनिश्चित तिथि पर वादे को पूरा करने में विफलता विभिन्न कारणों से हो सकती है।

और हमेशा "तथ्य की गलत धारणा" के बराबर नहीं हो सकता है

शुरुआत से "।

11. जहाँ तक उन निर्णयों का उल्लेख है जिन पर अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है - उपरोक्त का संबंध है, वही मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। तिलक राज (उपरोक्त) के मामले में, अभियोजक घटना के समय लगभग 40 वर्ष की एक वयस्क और परिपक्व महिला थी। अभियोजक ने अपनी गवाही में स्वीकार किया कि घटना से पहले वह पिछले दो वर्षों से आरोपी के साथ संबंध में थी और वह रात भर उसके आवास पर रहता था। इसलिए, एफ. आई. आर., अभियोजक की गवाही और एम. एल. सी. रिपोर्ट सहित समग्र रूप से साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस अदालत ने पाया कि उससे शादी करने के झूठे बहाने यौन संभोग के संबंध में अभियोजक की कहानी मनगढ़ंत और विश्वसनीय नहीं है और तथ्यों पर यह पाया गया कि आरोपी का कार्य सहमति से किया गया प्रतीत होता है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस अदालत के समक्ष आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया था, हालांकि, उच्च न्यायालय ने उसे आई. पी. सी. की धारा 417 और 506 के तहत दोषी ठहराया। अतः तथ्यों के आधार पर उक्त निर्णय वर्तमान मामले में अपीलार्थी के लिए किसी भी सहायता का नहीं होगा।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11.1 यहां तक कि दीपक गुलाटी (उपरोक्त) के मामले में भी यह देखा गया था कि आरोपी को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जा सकता है यदि अदालत तक पहुंच जाए

यह निष्कर्ष निकालना कि अभियुक्त का इरादा दुर्भावनापूर्ण था, और उसके गुप्त उद्देश्य थे।

11.2 यहां तक कि उदय (उपरोक्त), दिलीप में इस न्यायालय के निर्णय भी

सिंह (ऊपर) और शिवशंकर उर्फ शिवे बनाम। कर्नाटक राज्य (2108) एस. सी. सी. ऑनलाइन 3106 अभियुक्त के मामले में लागू नहीं होगा। 12. उपरोक्त निर्णयों का योग और सार यह होगा कि यदि यह स्थापित और साबित हो जाता है कि शुरुआत से ही जिस अभियुक्त ने अभियोजक को शादी करने का वादा किया था, उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था और अभियोजक ने इसके लिए सहमति दी।

कि वह उससे शादी करेगा, इस तरह की सहमति को तथ्य की सहमति गलत धारणा कहा जा सकता है प्राप्त किया

पर

ए

आई. पी. सी. की धारा 90 और ऐसे मामले में, ऐसी सहमति अपराधी को माफ नहीं करेगी और ऐसे अपराधी को आई. पी. सी. की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार करने वाला कहा जा सकता है और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

13. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, अभिलेख पर साक्ष्य से उभरने वाले निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता हैः

(i) कि अभियोजक और अभियुक्त का परिवार एक-दूसरे को जानते थे और इसलिए, अभियोजक और अभियुक्त भी थे

एक-दूसरे को जानते हैं;

((ii) हालाँकि आरोपी को एक और लड़की-प्रियंका सोनी से शादी करनी थी, लेकिन आरोपी ने अभियोजक के साथ शादी की बात करना जारी रखा और

वादा करना जारी रखा कि वह अभियोजक से शादी करेगा;

(iii) कि 28.04.2013 पर अपीलार्थी ने अभियोजक से मिलने और जवाब देने के लिए टेलीफोन पर अपनी इच्छा व्यक्त की कि अभियोजक ट्रेन से 29.04.2013 पर अभियुक्त के स्थान पर गया, जहाँ अभियुक्त ने उसका रेलवे स्टेशन शक्ति पर स्वागत किया और उसे मलखारौड़ा में अपने निवास स्थान पर ले गया।

((iv) 2.00 बजे से अभियुक्त के घर पर रहने के दौरान

29.04.2013 पर दोपहर 3 बजे से 30.04.2013 पर दोपहर 3 बजे तक, उनके बीच तीन बार शारीरिक संबंध थे; एएनयूआरएजी सोनी बनाम।

(v) कि अभियोजक के मामले के अनुसार, अभियोजक ने शुरू में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अपीलार्थी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने का प्रलोभन दिया।

शादी करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का वादा;

(vi) कि, इसके बाद अभियोजक ने आरोपी को कई बार फोन किया और उससे शादी के बारे में पूछा, लेकिन आरोपी ने ऐसा नहीं किया

सकारात्मक जवाब दें;

(vii) कि इसके बाद अभियोजक ने 06.05.2013 पर अपने परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में सूचित किया;

(viii) कि अभियोजक के परिवार के सदस्यों ने अभियुक्त के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की;

(ix) कि 23.05.2013 पर, अपीलार्थी ने अभियोजक से शादी करने की अपनी इच्छा व्यक्त की और एक सामाजिक समारोह निर्धारित किया गया था

30.05.2013 , जो नहीं हुआ; (x) कि, फिर से दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों ने बातचीत की, जिसमें शादी पर बातचीत की गई और एक सामाजिक समारोह निर्धारित किया गया।

10.06.2013 पर, जो फिर से आयोजित नहीं किया गया था और आगे, सामाजिक कार्यक्रम 20.06.2013 के लिए तय किया गया था;

(xi) कि 20.06.2013 पर, अपीलार्थी ने अभियोजक को टेलीफोन पर सूचित किया कि वह पहले ही शादी कर चुका है;

(xii) वह, प्रियंका सोनी पीडब्लू-13, जो आरोपी की पत्नी है, ने कहा कि शादी से एक साल पहले जो 10.06.2013 पर हुई थी,

बातचीत चल रही थी; और

(xiii) कि आरोपी ने प्रियंका सोनी से आर्य समाज में 10.06.2013 पर शादी की, यहाँ तक कि शादी के सामाजिक समारोह से पहले भी।

14. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में सफल रहा है कि शुरू से ही आरोपी का कभी भी अभियोजक से शादी करने का इरादा नहीं था; उसने अभियोजक को उससे शादी करने के लिए झूठे वादे/वादे किए थे और इस तरह के झूठे वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध थे। अभियोजक; अभियोजक ने शुरू में विरोध किया, हालांकि, आरोपी के झूठे वादे पर भरोसा करते हुए सहमति दी कि वह उससे शादी करेगा और इसलिए, उसकी सहमति को आईपीसी की धारा 90 और ऐसी सहमति [2019] 6 एस. सी. आर. के अनुसार तथ्य की गलत धारणा पर सहमति कहा जा सकता है।

अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 375 के तहत बलात्कार और अपराध के आरोप से बख्शा नहीं जाएगा। हालाँकि, धारा 313 के बयान में, अभियुक्त एक मामला लेकर आया कि अभियोजक और उसके परिवार के सदस्यों को पता था कि उसकी शादी पहले से ही प्रियंका सोनी के साथ तय हो चुकी थी।

अनुमान और अदालत यह मान लेगी कि उसने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी, जो आरोपी द्वारा किए गए वादे पर निर्भर करता है कि वह उससे शादी करेगा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, शुरू से ही, अभियुक्त द्वारा अभियोजक से शादी करने का वादा एक झूठा वादा था और शुरू से ही अभियुक्त का अभियोजक से शादी करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसकी शादी प्रियंका से हुई थी। सोनी को बहुत पहले ही तय कर दिया गया था और इसके बावजूद, उसने वादा/झूठा वादा करना जारी रखा और शारीरिक संबंध के लिए उसकी सहमति देने के लिए अभियोजक का संकेत दिया। इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने सही निर्णय दिया है कि अभियोजक द्वारा दी गई सहमति तथ्य की गलत धारणा पर थी और इसलिए, इसे सहमति नहीं कहा जा सकता है ताकि आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के आरोप के लिए आरोपी को माफ किया जा सके। नीचे दी गई दोनों अदालतों ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए सही ठहराया है।

15. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से निवेदन की बात है-अपीलकर्ता कि अभियुक्त ने 10.06.2013 पर प्रियंका सोनी के साथ शादी की थी और यहां तक कि अभियोजक ने भी शादी कर ली है और इसलिए, आरोपी अनुराग सोनी बनाम।

दोषी न ठहराए जाने का संबंध है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके सफल रहा है कि निरीक्षण से ही आरोपी का पीड़ित से शादी करने का कोई इरादा नहीं था और उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे और उसने केवल वासना को संतुष्ट करने के लिए झूठा वादा किया था। लेकिन अभियुक्त द्वारा अभियोजक से शादी करने के झूठे वादे के लिए,

अभियोजक ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति नहीं दी होगी। यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी और धोखे का मामला था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अभियोजक द्वारा दी गई सहमति तथ्य की गलत धारणा पर थी। इन दिनों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह के अपराध समाज के खिलाफ हैं। बलात्कार समाज में सबसे नैतिक और शारीरिक रूप से निंदनीय अपराध है, जो पीड़ित के शरीर, मन और गोपनीयता पर हमला है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में कहा गया है, जबकि एक हत्यारा पीड़ित के शारीरिक ढांचे को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी एक असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है और अपवित्र करता है। बलात्कार एक महिला को जानवर बना देता है, क्योंकि यह उसके जीवन के मूल हिस्से को हिला देता है। बलात्कार पीड़ित को किसी भी तरह से साथी नहीं कहा जा सकता है। बलात्कार पीड़ित के जीवन पर एक स्थायी निशान छोड़ देता है। बलात्कार पूरे समाज के खिलाफ अपराध है और पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। होने के नाते

सबसे अधिक घृणित अपराध, बलात्कार सर्वोच्च के लिए एक गंभीर प्रहार के समान है

एक महिला का सम्मान, और उसके सम्मान और गरिमा दोनों को आहत करता है। इसलिए, केवल इसलिए कि अभियुक्त ने किसी अन्य महिला से शादी की थी और/या अभियोजक ने भी बाद में शादी कर ली है, अपीलार्थी-अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी-अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध के परिणामों का सामना करना चाहिए।

16. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, हम हैं

अपीलार्थी-आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अभियुक्त। हम आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को भी बनाए रखते हैं। तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा किए गए अनुरोध में अभियुक्त, निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दी गई 10 वर्ष की आर. आई. की सजा को घटाकर सात वर्ष कर दिया गया है, जो आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध करने के प्रासंगिक समय पर निर्धारित किया गया था। नतीजतन, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से केवल सजा में उपरोक्त संशोधन की अनुमति है।

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।

दिव्या पांडे